डिकरी व सीगे अपील

(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code.Appendix D&1)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम भरतपुर

व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 01/19(223 आर.टी.एक्ट)

उनवानी :-

1. वासुदेव पुत्र मूला जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अऊ तहसील डीग जिला भरतपुर (विस्तृत उनवान पृष्ठ पर अंकित है)

___________अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग, प्रतिनिधि राज्य सरकार।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

_________ रैस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.08.2007 प्रकरण संख्या 40/2012 उनवान वासुदेव बनाम सरकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग ।

यह अपील _____11______माह____10______सन्___2023_____व हमारे __श्री मुकेश कुमार एड. ____ मिनजानिब अपीलाण्ट , रैस्पोडेण्ट अनुपस्थित समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि_ अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 24.08.2007 यथावत रखा जाता हैं एवं अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
(खर्चा अपील________का हस्ब तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग_______) रूपये__________
अदा करे, खर्चा मुकदमा मुबलिग का____________________________अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख_____11_____माह_____10_____सन्_____2023______को जारी की गई।

11-10-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)

आर.ए.एस.

राजस्व अपील प्राधिकारी

भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

1. वासुदेव पुत्र मूला
2. गिरधारी पुत्र भग्गो नवीरा मूला
3. धीरो उर्फ धीरज पुत्र बसन्ता नवीरा सामलिया
4. रामस्वरूप पुत्र ग्यासी
5. मदन पुत्र ग्यासी
6. शिवचरन पुत्र झम्मन नवीरा गोपी
7. रामदयाल पुत्र सैंगरिया
8. दुलीचन्द पुत्र सैंगरिया
9. सूखा उर्फ गोविन्दराम पुत्र सैंगरिया
10. तुलसीराम पुत्र सुल्लड उर्फ दुगौ नवीरा गिरधर
11. छीतर पुत्र कन्हैया
12. रघुवीर पुत्र कन्हैया जातियान ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम अऊ तहसील डीग जिला भरतपुर।

......................अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग, प्रतिनिधि राज्य सरकार।

.... रेस्पोंडेंट।

11.10.22

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 01/19 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. वासुदेव पुत्र मूला
2. गिरधारी पुत्र भग्गो नवीरा मूला
3. धीरो उर्फ धीरज पुत्र बसन्ता नवीरा सामलिया
4. रामस्वरूप पुत्र ग्यासी
5. मदन पुत्र ग्यासी
6. शिवचरन पुत्र झम्मन नवीरा गोपी
7. रामदयाल पुत्र सैंगरिया
8. दुलीचन्द पुत्र सैंगरिया
9. सूखा उर्फ गोविन्दराम पुत्र सैंगरिया
10. तुलसीराम पुत्र सुल्लड उर्फ दुगौ नवीरा गिरधर
11. छीतर पुत्र कन्हैया
12. रघुवीर पुत्र कन्हैया जातियान ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम अऊ तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग, प्रतिनिधि राज्य सरकार।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी डीग, दिनांक 24.08.2007 उनवानी वासुदेव बनाम सरकार मु0न0 40/2012

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री मुकेश कुमार उपस्थित।
2. पैरोकार सरकार अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 11.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के आदेश दिनांक 24.08.2007 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88,

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1763/0.29 है0 वाके ग्राम नगला चाहर तहसील डीग में स्थित है, जो साविक आराजी खसरा नम्बर 1757 रकवा 4 विस्वा, 1758 रकवा 01 बीघा 12 विस्वा वाके ग्राम अऊ से बना है जो सैटलमेंट विभाग ने एक नम्बर के रूप में ग्राम नगला चाहर में कायम किया है। संवत 2028–31 तक साविक रिकार्ड में ग्राम अऊ में दो नम्बरो के रूप में स्थित थे। उक्त साविक आराजी खसरा नम्बर 1757 व 1758 की खातेदारी मे थे। परन्तु बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने साविक आराजी खसरा नम्बर 1757 व 1758 से हाल खसरा नम्बर 1763/0.29 को मकबूजा सरकार गलत रूप से दर्ज कर दिया। इस इन्द्राज के आधार पर वादीगण के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गयी है। इस इन्द्राज के आधार पर सरकार बेदखल कर इस आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन कर सकती है। जिससे वादीगण को असीम हानि होगी तथा खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडेगा। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार विवादित आराजी पर वादीगण को साविक आराजी पर दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवदेन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद भी राजकीय अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया। यह है कि खसरा नम्बर 1757 रकवा 04 विस्वा व 1758 रकवा 01 बीघा 12 विस्वा बन्दोबस्त से पूर्व वादीगण अपीलाण्ट की खातेदारी में रिकार्ड में अंकित है। उक्त दोनों का हाल में एक नम्बर 1763/0.29 है0 कायम किया गया है जो मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। बन्दोबस्त विभाग ने नया नम्बर कायम करते समय उक्त खसरा नम्बर पर वादी अपीलाण्ट की खातेदारी को कलमजन कर गैर मुमकिन खौर मकबूजा सरकार गलत दर्ज कर दिया तथा साविक खसरा नम्बर 1757 व 1758 को नगला चाहर में स्थापित कर दिया तथा नगला चाहर की सीमा के समीप वाले अऊ गॉव के अन्य खसरा नम्बरो को भी नगला चाहर में स्थापित कर दिया। जबकि बंदोबस्त विभाग को इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन के कोई अधिकार हासिल नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस दावें को तय करने हेतु अनुतोष सहित चार तनकियॉ कायम की गई हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तनकियों को तय करते समय, प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

हुये हैं। वादीगण अपीलांट ने साविक जमाबन्दी में दर्ज सम्पूर्ण आराजीयात किता 13 का सम्पूर्ण मिलान क्षेत्रफल व इनसे निर्मित सभी हाल नम्बरान की जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है। जिससे साविक व हाल रिकार्ड से वादग्रस्त रकवे का तुल्नात्मक परीक्षण हो सकें। इस प्रकार वादीगण अपीलाण्ट ने दावा स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा वादीगण अपीलाण्ट ने ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में यह सावित नहीं किया है कि वादीगण अपीलाण्टकी वादग्रस्त साविक आराजी से बने हाल खसरा नम्बरो को वन्दोवस्त विभाग ने ग्राम अऊ से ग्राम नगला चाहर में किस आधार पर परिवर्तित किया गया है। दौराने वन्दोवस्त हर काश्तकार को पर्चा जारी किया जाता है, तो उसी वक्त वादीगण अपीलाण्ट को इस संवंध में चाराजोही करनी चाहिये थी। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श पी–1 के मुताविक वादग्रस्त आराजी मकबूजा सरकार यानि सरका के खाते में दर्ज है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस तरह की भूमि पर खातेदारी अधिकार, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार निषिद्ध है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट में कोई वल नहीं पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश तनकीवार तार्किक है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीग के निर्णय दिनांक 24.08.2007 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 11.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

11-10-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)